बइजलास रमेश देव, आर.ए.एस, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 62 / 2019 निर्णय दिनांक 11.9.2019

भंवरलाल पुत्र अमोलखराम जाति ब्राहम्ण निवासी लुम्बासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा

अप्रार्थी

उपस्थिति–

1. श्री पप्पु खां अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम**

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके राही लुम्बासर के खेत खसरा नम्बर 169 रकबा 2.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 4.05 हैक्टयर कुल तादादी 6.50 हैक्टेयर में स्थित है । प्रार्थी ने दिनांक 28.2.2019 को पटवारी हल्का व गिरदावर से अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया व निशानदेही दी गई । इसी दौरान आस पड़ौसी मौके पर आ गये लेकिन पड़ौसी खातेदारान ने पटवारी हल्का द्वारा दिये गये कच्चे निशानात को मानने से इन्कार कर दिया । प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के पास पडौसी खातेदार बदमाश व झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.02.2019 को सीमाज्ञान व मौके पर करवाए गए कच्चे निशानात को मानने से इंकार कर दिया तथा आए दिन खेत की सीमा को लेकर विवाद तनाजा पैदा करते रहते है तथा प्रार्थीगण द्वारा बाड़ इत्यादी करने पर लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो जाते है तथा कहते कि उक्त भूमि का सीमा ज्ञान नहीं करवाने देगें। प्रार्थी द्वारा पड़ौसी खातेदारान से कई बार अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान करवाने के लिए सहमति हेतु निवेदन किया मगर पड़ौसी खातेदार सहमति से सीमाज्ञान करवाने को सहमत नही हुए तथा आए दिन खेत सीमाओं के लेकर वाद विवाद व तनाजा पैदा करते रहते है व प्रार्थी की खेत की सीमा चिन्ह खेजड़ी, बाड़ आदि को हटा देते है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर खेत सींव पर स्थाई रूप से पत्थरगढी के चिन्ह लगवाये व तारबन्दी करवाये ताकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि को आवारा पशु से फसल की सुरक्षा कर सके व आये दिन आस पड़ौसियों द्वारा पैदा किये जाने वाले विवाद तनाजा से बच

लगातार ........ 2

Scanned by CamScanner

सके। प्रार्थी अपने उक्त खेत का सीमाज्ञान मय पत्थर गढ़ी व तार बन्दी पुलिस इमदाद से करवाये जाने का निवेदन श्रीमान तहसीलदार नोखा को किया गया श्रीमान तहसीलदार महोदय ने श्रीमान जी के न्यायालय से आदेश लेकर आने बाबत कहा अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत संयुक्त खातेदारी कृषी भूमि खसरा नम्बर 169 तादादी 2.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 तादादी 4.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 6.50 हैक्टेयर वाके रोही लुम्बासर तहसील नोखा में स्थित का सीमा ज्ञान मय स्थाई पत्थर गढी व तार बन्दी करवाये जाने हेतु पुलिस इमदाद से श्रीमान तहसीलदार महोदय नोखा द्वारा करवाये जाने के सादर आदेश फरमावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज की तरफ से जबाब पेश किया गया कि पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करा दिया गया है। अतः सीमज्ञान अनुसार पत्थरगढी आदेश जारी करने में राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नही है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

वाके रोही लुम्बासर के खेत खसरा नम्बर 169 तादादी 2.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 तादादी 4.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 6.50 हैक्टेयर भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी मय तारबन्दी करने के आदेश तहसीलदार नोखा को दिये जाते है। तहसीलदार नोखा तदनुसार उक्त खेत की पत्थरगढी मय तारबन्दी अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के व्यय पर करवावें।

आदेश आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

11/9

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.03 16:18:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: